Nehru Museum will continue to remain in Teen Murti House ;

(b) if not, whether a new building is proposed to be constructed at a cost of Rs. 40 lakhs ;

(c) whether Nehru Memorial Committee had raised strong objections to the move to shift the museum to another place ; and

(d) if so, the reasons advanced by them in this regard ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING, AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH) ; (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The Nehru Memorial Museum and Library Society felt that Teen Murti House is not merely a memorial, museum and library but has become something in the nature of a shrine visited by thousands of people. They also did not find any of the alternatives suggested to them for the temporary location of the Museum and Library pending new construction, to be satisfactory. There is now no proposal to shift the Museum and Library from Teen Murti House.

Rural Electrification Scheme in Mysore State

2426. SHRI J. H. PATEL ; Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the number of villages and towns in Mysore State which are proposed to be electrified under the Rural Electrification Scheme during 1968-69 ; and

(b) the number of villages and towns electrified during 1967-68 and the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDHESWAR PRASAD): (a) The emphasis in Rural Electrification schemes is towards energisation of pumping sets. In the implementation of this Programme localities are also electrified. During the year 1968-69 up to the end of December, 1968, 231 villages were electrified in Mysore State. One town is proposed to be electrified during the year 1968-69.

(b) During the year 1967-68 no town was electrified in Mysore and 786 villages were electrified. The details of these villages are in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-270/69].

बिहार विद्युत बोर्ड में हड़ताल

2427. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री क० वि० मधुकर :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विद्युत बोर्ड के कर्मचारी 7 फरवरी, 1969 से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कई मजदूर नेताओं तथा हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(च) उक्त हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मजदूर संघ ने 19-11-68 तारीख के नोटिस के साथ 48 मांगों की एक सूची और 6-1-69 तारीख के हड़ताल के नोटिस के साथ 3 मांगों की दूसरी सूची प्रस्तुत की थी । 6-1-69 के हड़ताल के नोटिस में जो मुख्य मांगें की गई थी, वे निम्नलिखित हैं :

(1) महंगाई भत्ते में उतनी बढ़ोतरी जितनी कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी है ;

(2) बिजली अभिकरणों के केन्द्रीय वेतन

बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अन्तः कालीन सहायता; और

(3) वर्ष 1968-69 के लिए 10 प्रतिशत बोनस ।

श्रम आयुक्त, बिहार ने इन मांगों के संबंध में मेल-मिलाप की कार्यवाही की और चूंकि कोई फैसला न हो पाया, उसने बिहार सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी । राज्य सरकार ने इन में से किसी को न्यायाधिकरण के पास भेजने योग्य नहीं समझा । उनकी एक मांग को जिस का सम्बन्ध ग्रेड चार कर्मचारियों को कितना निर्माण भत्ता दिया जाए, इससे था, न्यायाधिकरण को भेज दिया गया ।

(घ) और (ङ). हड़ताल के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है । पकड़े गये व्यक्तियों को सही संख्या और जिन आपत्तियों के कारण उनको पकड़ा गया है, उन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु सामान्यतः हिंसा के कार्यों व दूसरों को भड़काने, डराने धमकाने और तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के लिए पकड़े गए हैं।

(च) 20 फरवरी, 1969 को मजदूर संघ ने बिना किसी शर्त के हड़ताल खत्म कर दी।

गोलचा प्रापरटीज (प्राइवेट) लिमिटेड), दिल्ली पर आयकर की बकाया राशि

2428. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की गोलचा प्रापरटीज (प्राइवेट) लिमिटेड से आयकर की राशि बकाया है;

(ख) यदि हाँ, तो बकाया राशि कितनी है;

(ग) निश्चित तिथियों पर आयकर की राशि वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस त्रुटि के लिए आयकर अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस बकाया राशि को कैसे वसूल करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). जी, हाँ । निर्धारिती की तरफ 12,95,957 रु० की रकम बकाया है ।

(ग) बकाया रकम, कर-निर्धारण वर्ष 1960-61, 1962-63 तथा 1663-64 के संबंध में है तथा नीचे दिये गये कारणों से वसूल नहीं की गई :—

1960-61 :—1,35,532 रुपये, यह मांग 31 जुलाई 1966 को देय थी, परन्तु इसकी वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि अगस्त 1966 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये एक आदेश द्वारा, कंपनी को, रोजमर्रा का कारोबार करने की अनुमति को छोड़कर, ऋणदाताओं को किसी भी प्रकार की अदायगियां करने से रोक दिया गया था ।

1962-63—8,33,513 रुपये
1963-64—3,49,861 रुपये
} सकल मांग के बारे में अपील द्वारा विवाद उठाया गया है, जिस पर अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जोधपुर स्थित, राजस्थान के उच्च न्यायालय ने 10 मई, 1968 को इस कंपनी के मामलों को समेटने के आदेश जारी किये हैं । आयकर अधिनियम 1961 की धारा 178(2) के अधीन, इस कंपनी के ससाप्ति-व्यवस्थापक को बकाया देय रकम तथा प्रत्याशित करों की रकमों के बारे में सूचना दे दी गई है ।

Opening of C.H.S. Dispensary in Inderpuri Colony, New Delhi

2429. **SHRI BIBHUTI MISHRA** : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Inderpuri